

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 902वी बैठक दिनांक 30.09.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित द्वारा निर्णय	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/651/2024	1(a)	नरसिंहपुर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
2.	P2/653/2024	1(a)	नरसिंहपुर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
3.	P2/1031/2025	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
4.	P2/499/2024	5(a)	मंदसौर	Single Super Phosphate	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
5.	P2/276/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/291/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/380/2024	1(a)	ग्वालियर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	P2/198/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/910/2024	1(a)	सीधी	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/237/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

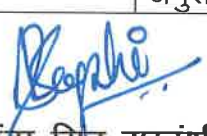
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

11.	P2/235/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/236/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/679/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
14.	P2/221/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/729/2024	1(a)	सीधी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

1. Proposal No.: SIA/MP/MIN/521233/2025, Case No P2/651/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 6.00 hectare, for production capacity of 64800 cum per annum, at Khasra No.- 276, Village - Panagar, Tehsil - Gadawara, District -Narsinghpur (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Sahshi Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 07/02/2028 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 64800 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 64800 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/521254/2025, Case No P2/653/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 7.50 hectare, for production capacity of 121500 cum per annum, at Khasra No.- 308, Village - Gadarwara, Tehsil - Gadarwara, District -Narsinghpur (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Sahshi Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“लीज क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में एक रोड ब्रिज लगभग 541 मी. की दूरी पर स्थित है। समिति ने पाया कि सैंड माईनिंग गाईडलाइन्स 2016 एवं 2020 के अनुसार सेडबेक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र 0.71 (कुल क्षेत्र 7.50 हे.) अतः समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता/आर्थिक/मबवदवजपब अपडंपसपजलद्ध रूप से दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

3. **Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/518304/2025, Case No. P2/1031/2025, Sage properties, "Sage Skyline" Development of Residential Tower Project, Sage Plaza, M.P. Nagar Bhopal (M.P.) proposed project is "Sage Skyline" Development of Residential Tower Project by M/s Sage Property Sanjeev Agrawal (Partner) which is to be developed at near Apollo Sage Hospital E-8 Ext. Arera Colony Bhopal, (M.P.) Village-Bawadiyakalan, Tehsil- Kolar, District-Bhopal (M.P.), (EIA). (Query Reply).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना से संबंधित Consent to Establish Certificate की प्रति प्रस्तुत करें।
2. परियोजना स्थल Van Vihar National Park की 10 किमी परिधि के भीतर स्थित है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SCNBWL) के ऑनलाइन आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
3. External Sewage Treatment Plant (STP) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है इसके संबंध में विस्तृत जानकारी (क्षमता, प्रक्रिया, स्थान, तकनीकी विवरण आदि) प्रस्तुत करें।
4. Liquid Waste Disposal की क्या व्यवस्था है स्पष्ट करें।
5. प्रस्तावित CSR गतिविधियों का विवरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए। इसमें यह उल्लेख हो कि ये कार्य कहाँ, कैसे और किस प्रकार किए जाएंगे तथा इनसे किस वर्ग को और किस प्रकार लाभ मिलेगा। CSR गतिविधियों की विस्तृत एवं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
6. जल गुणवत्ता प्रबंधन (Water Quality Management) व्यवस्था स्पष्ट नहीं है इसके संबंध में विस्तृत एवं व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
7. EMP रिपोर्ट में जोखिम एवं आपातकालीन प्रबंधन योजना का अभाव है जानकारी उपलब्ध करावे।
8. निर्माण श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है स्पष्ट करें।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार से उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 8 तक की जानकारी एवं प्रमाण पत्र प्राधिकरण को प्रेषित करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जाएगा तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

4. **Proposal No.: SIA/MP/IND3/473371/2024 Case No.: P2/499/2024 Shri Raman Mathur, Director, M/s Mexican Agro Chemical Ltd., 9/2 South Tukoganj Behind Surya Hotel, Indore 452001, Prior Environment Clearance for Single Super Phosphate Fertilizer Unit Expansion (SSP, GSSP PLANT) Production Capacity (Total after Expansion) Existing SSP-60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT. at Plot-B, Jaggakhedi Industrial Area, Sanjeet Road, Jaggakhedi, Distt.-Mandsaur(M.P.),458895, (Query Reply) (EIA)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। उपरोक्त अनुशंसा उपरान्त प्रकरण प्राधिकरण की बैठक 863-B दिनांक 10.06.2024 में प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरान्त पाया गया कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना में जारी की गई कंसेंट टू ऑपरेट की वैधता दो वर्ष से अधिक हो जाने के कारण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कंसेंट की सर्टिफाइड कम्प्लायंस रिपोर्ट SEAC में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त प्रकरण की पुनः SEAC की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में अनुशंसा की गई:

"Hence, the case was scheduled in this meeting. The query reply w.r.t. point raised by SEIAA was presented by Env. Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. and submitted that they have obtained verified compliances of consent conditions mentioned in Air/Water consent from the Regional Office, M.P. Pollution Control Board Ujjain, vide letter S.No. 66\ MPPCBB/RO/2024 dated Date 07.06.2024.

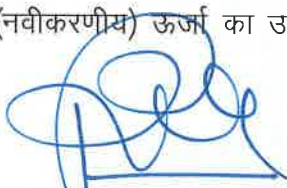
Hence, in the light of above the Committee decided to standby SEAC earlier recommendation made in SEAC 756th meeting dated 22.05.2024."

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर पुनः विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरान्त पाया गया कि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर उक्त प्रकरण की परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत की जाए:-

1. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट में स्थानीय जनता की भागीदारी, दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण और व्यावहारिक निगरानी उपाय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।
2. EIA रिपोर्ट में प्रस्तुत ToR Compliance के समस्त बिंदुओं का विवरण उचित प्रकार से नहीं दिया गया Compliance के बिंदुओं के विवरण तथा संदर्भित जानकारी को स्पष्ट रूप से अंकित कर (With page no.) प्रस्तुत करें।
3. परियोजना के तहत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए गैर-पारंपरिक (नवीकरणीय) ऊर्जा का उपयोग और CO₂ उत्सर्जन के नियंत्रण के उपायों की जानकारी प्रस्तुत करें।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

4. ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये किये जा रहे उपायों व व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की करें।
5. खतरनाक अपशिष्टों, उनके निपटान व उक्त हेतु अधिकृत एजेंसियों की जानकारी प्रस्तुत करें।
6. परियोजना से संबंधित आवश्यक समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
7. CSR गतिविधियों की विस्तृत जानकारी एवं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
8. श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है स्पष्ट करें।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार से उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 8 तक की जानकारी एवं प्रमाण पत्र प्राधिकरण को प्रेषित करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जाएगा तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाए।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

5. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519348/2024, Case No P2/276/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast manual method) in area of 4.50 Hectare (As per SEAC recommendation mineable area is 3.92 ha.), for production capacity of 2500 cum/year, at Khasra No.- 229, 500, Village - Chirmiya, Tehsil - Mahidpur, District - Ujjain (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Dinesh Sharma Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Ujjain	Chirmiya	2, 29, 500	2021-22	4.50	1097.60	4.5	0.03	1350	0.09	4050	4050	2430	0
			2022-23		1251.28	4.5	0.09	4050	0.12	5400	5400	3240	0
			2023-24		1071.70	4.5	0.12	5400	0.15	6750	6750	4050	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

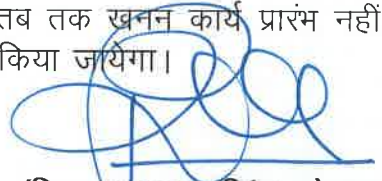
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत **Replenishment Study** डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त **Replenishment Study** किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार **लीज क्षेत्र के पास स्थित रोड़ ब्रिज से दोनो ओर न्यूनतम 1-1 किलोमीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 4.50 हे. में से मात्र 3.92 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव मारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

6. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519474/2024, Case No P2/291/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast manual method) in area of 7.20 Hectare (As per SEAC recommendation mineable area is 1.90 ha.), for production capacity of 2160 cum/year, at Khasra No.- 78, Village - Banjari, Tehsil - Tarana, District - Ujjain (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Dinesh Sharma Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Ujjain	Banjari	78	2021-22	7.20	1097.60	5.14	0.04	2056	0.07	3598	3598	2158.8	0
			2022-23		1251.28	5.14	0.07	3598	0.085	4369	4369	2621.4	0
			2023-24		1071.70	5.14	0.085	4369	0.11	5654	5654	3392	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 797वी बैठक दिनांक 27.05.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत **Replenishment Study** डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त **Replenishment Study** किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार लीज क्षेत्र से 526 मीटर की दूरी पर स्थित रोड़ ब्रिज के स्पैन की 10 गुना दूरी तक डाउन स्ट्रीम तरफ एवं खदान के बीचो-बीच स्थित स्टॉप डेम के स्पैन की 10 गुना दूरी तक डाउन स्ट्रीम तरफ एवं 05 गुना अप स्ट्रीम तरफ तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 7.20 हे. में से मात्र 1.90 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

7. Proposal No.: SIA/MP/MIN/477943/2024, Case No P2/380/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 13.00 hectare, for production capacity of 40734 cum/year at Khasra No.- 324, Village - Lidhaura, Tehsil - Pichhore or Dabra, District - Gwalior (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Arun Sharma Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार उक्त खदान क्षेत्र का पूर्ण भाग पूरे वर्ष जलमग्न होना परिलक्षित है, जिस कारण उक्त खदान से रेत का खनन किया जाना संभव नहीं है। जबकि SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में 2.0 हेक्टेयर क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध बताया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

8. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/475489/2024, Case No P2/198/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 10.00 hectare (as per SEAC recommendation minable area is 8.52 ha.), for production capacity of 180000 cum/year at Khasra No.- 207, Village – Bandrabhan-11 , Tehsil - Narmadapuram, District - Narmadapuram (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वी बैठक दिनांक 03.06.2024 एवं 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Bandrabhan-11	207	2021-22	10.00	1081.10	10.00	2.60	260000	3.00	300000	300000	180000	0
			2022-23		2001.46	10.00	3.00	300000	3.78	378000	378000	226800	0
			2023-24		1256.10	10.00	3.78	378000	4.17	417000	417000	250200	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 762वी बैठक दिनांक 03.06.2024 एवं 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक अग्र्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

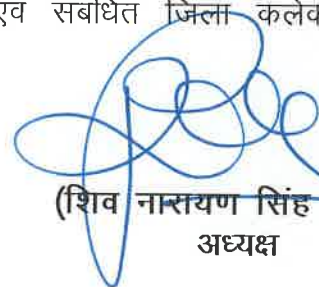
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 10.00 हे. में से मात्र 8.52 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

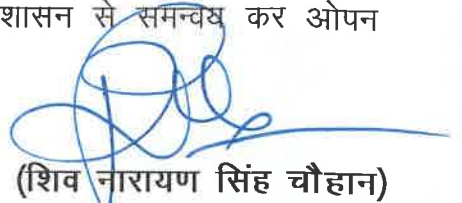
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

9. Proposal No.: SIA/MP/MIN/469849/2024, Case No P2/910/2024- Prior Environment Clearance for Soil/Clay Bricks Mine (Opencast manual method) in an area of 1.82 ha. for production capacity of 8428 cum per annum at Khasra No. 1245,1223,1225 at Village -Tikat Kalan, Tehsil- Churhat, District Sidhi (MP) by Shri Suneel Singh, Project Proponent, R/O - Village - Duara, Tehsil - Huzur, District - Rewa, (M.P).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के पत्र क्रमांक 262/खनिज/2024 दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद समस्त 04 वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/518885/2025, Case No P2/237/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 5.00 hectare, for production capacity of 10000 cum/year at Khasra No.- 232/1/1/107, Village – Bhasunda, Tehsil - Maheshwar, District - Khargone (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Himmat Sisodia Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

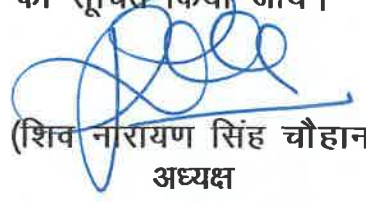
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक के शपथ पत्र अंकित खसरा नम्बर एवं लीज का खसरा नम्बर दोनो भिन्न है एवं पर्यावरण सलाहकार के हस्ताक्षर भी नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

- 11. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518867/2024, Case No P2/235/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 14.43 hectare, for production capacity of 15000 cum/year at Khasra No.- 149/1/1, Village – Jalkota, Tehsil - Maheshwar, District - Khargone (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Himmat Sisodia Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Khargone	Jalkota (A)	0149/1/1	2021-22	14.43	663.70	5.00	0.20	10000	0.50	25000	25000	15000	0
			2022-23		928.45	5.00	0.50	25000	1.05	52500	52500	31500	0
			2023-24		1027.60	5.00	1.05	52500	1.35	67500	67500	40500	0

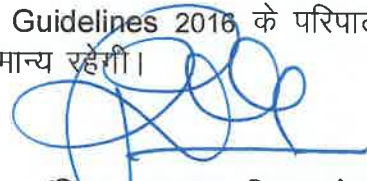
उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

12. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518847/2024, Case No P2/236/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 15.00 hectare, for production capacity of 15000 cum/year at Khasra No.- 149/1/1, Village – Jalkota-A, Tehsil - Maheshwar, District - Khargone (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Himmat Sisodia Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Khargone	Jalkota (B)	014 9/1/1	2021-22	15.00	663.70	5.00	0.20	10000	0.50	25000	25000	15000	0
			2022-23		928.45	5.00	0.50	25000	1.05	52500	52500	31500	0
			2023-24		1027.60	5.00	1.05	52500	1.35	67500	67500	40500	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वयं निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

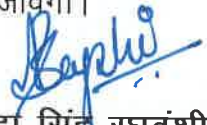
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

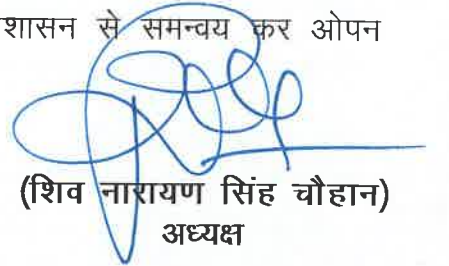
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

13. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518792/2025, Case No P2/679/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 15.00 hectare, for production capacity of 40000 cum per annum, at Khasra No.- 313/1/1/1, Village - Sulgaon, Tehsil - Maheshwar, District - Khargone (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Himmat Sisodia Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 12/05/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 40,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 40,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण**

14. Proposal No.: SIA/MP/MIN/477308/2024, Case No P2/221/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 4.00 hectare, for production capacity of 52800 cum per annum, at Khasra No.- 181/1, Village – Rajoun-3, Tehsil – Makhan Nagar, District - Hoshangabad (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2025 एवं 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Rajoun-3	181/1	2021-22	4.000	1081.10	4.00	1.80	72000	2.20	88000	88000	52800	0
			2022-23		2001.46	4.00	2.20	88000	2.78	111200	111200	66720	0
			2023-24		1256.10	4.00	2.78	111200	3	120000	120000	72000	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2025 एवं 801वी बैठक दिनांक 12.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

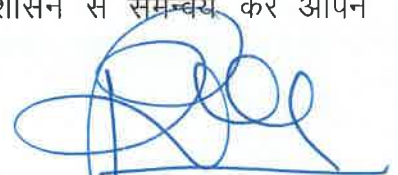
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 902वी बैठक दिनांक
30.09.2025 का कार्यवाही विवरण

15. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519592/2025, Case No P2/729/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 23.00 hectare, for production capacity of 345000 cum per annum, at Khasra No.- 1229, Village – Bhumka, Tehsil - Majhauri, District - Sidhi (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Ram Soni Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 800वी बैठक दिनांक 10.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रस्तावित रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 23/03/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 3,45,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की में 3,45,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाहिए गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 800वी बैठक दिनांक 10.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष